न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 51/2021

अपीलाण्ट

1. करणाराम पुत्र रणसोडा जी
2. हरजीराम पुत्र रणसोडा जी
3. भबूताराम पुत्र रणसोडाजी
4. चोथी पत्नी रणसोडाजी (मृत्यु होने से चोथी के कायम मुकाम अपीलाण्ट संख्या 1 से 3) सभी जातियान चौधरी निवासी रामा तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. हजारीराम पुत्र सवा जी
2. मोहनलाल पुत्र सवा जी
3. विशनाराम पुत्र सवा जी
4. मगु पत्नी सवा जी सभी जातियान चौधरी निवासी रामा तहसील आहोर जिला जालोर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री दौलत सिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री जितेन्द्र चौधरी , विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/9/22

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 38/2019 बअनवान हजारीराम बनाम चौथी में पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय में म्याद बाहर प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा रामा के खसरा नम्बर 1854/1008 रकबा 0.72 हैक्टर किस्म बारानी में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1857/1008 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट करणाराम को गांव वासियो से नोटिस का ज्ञान होने पर आहोर जाकर अधिवक्ता श्री सुरेश जी को नियुक्त किया। उन्होने कहा कि कोरोना के कारण राज्य सरकार ने सभी न्यायालयों में कार्यवाही रोक रखी है। उनके कथन पर अपीलाण्ट अपने भाईयों के पास मुम्बई चला गया। अन्य अपीलाण्ट के नोटिस उनके घर पर सम्मन कुन्दना चस्पा न करके अपीलाण्ट की तामिल रेस्पोडेण्ट के बहनोई हिराराम की साक्ष्य लेकर तामिली रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी। रेस्पोडेण्ट ने सुनोयोजित तरीका अपना कर अपीलाण्ट की तामिल रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स की तामील मानते हुए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर निर्णय जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आहोर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार आहोर ने भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका की जांच रिपोर्ट पेश करने का लिखा। उनके द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका जांच रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट में दर्शाया कि रेस्पोडेण्टगण को अपने खेत में जाने के लिए खसरा नंबर 1857/1008 के अलावा कोई विकल्प नहीं है जबकि दो अन्य विकल्प खसरा नम्बर 1855/1008 व 1008 भी है। इन खसरो से रेस्पोडेण्ट को अपने खेत में जाने के लिए अपीलाण्टगण के खसरा से कम दूरी पर है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। गत सेटलमेन्ट में खसरा नंबर 1008 हमारे दादा चमनाजी की खातेदारी का था। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके सभी वारिसान ने उपरोक्त आराजी का आपस में बंटवारा कर लिया। उस बंटवारे के आधार पर खसरा नम्बर 1008 के हाल खसरा नंबर 1008, 1854/1008, 1855/1008, व 1157/1008 बने। बंटवारे के पश्चात सभी अपने अपने हिस्से में काश्त करते है। कोई भी सदस्य किसी को भी आने जाने से रोक टोक नहीं कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रहा है। न ही रास्ता का विवाद था। चूंकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की स्थिति में नये मार्ग का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया मार्ग प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2014(1) आर आर टी पेज 40 व 2021 (1) डी एन जे (रेव्यु) 681 2016 आर आर डी 458 एच सी पेश किए।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसे सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। इसके पश्चात तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट तलब की है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। उक्त आदेश की पालना भी हो चुकी है। अपीलाण्ट जिस भूमि में रास्ता होना बताते है, वहां कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। चूंकि धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही करने के प्रावधान है तथा विधि अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना न्यायोचित माना है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिवत जांच कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। व उद्धरित न्याय दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा रामा के खसरा नम्बर 1854/1008 रकबा 0.72 हैक्टर किस्म बारानी में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1857/1008 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। विचाराधीन अपील में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जिन बिन्दुओ को रेखांकित किया है, उनमें मुख्य बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

में अपीलाण्ट को पर्याप्त तामिल नहीं होना, एवं एक पक्षीय मौका रिपोर्ट बनाये जाने को इंगित किया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए बिन्दुओ के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया तो स्पष्ट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज किए जाने के बाद अपीलाण्ट को नोटिस/सम्मन जारी किए गए सम्मनों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट आया है कि अपीलाण्ट चौथी देवी पत्नी रणसोड़ा को जारी सम्मन 12.05.2021 को चौथी देवी के फौत होने की इबारत अंकित की जाकर अदम तामिल प्रस्तुत किया गया है, जिस पर रमेश कुमार मेघवाल के अगुंष्ठ निशान अंकित है, तामिल कुनन्दा के हस्ताक्षर अंकित है लेकिन नाम अंकित नहीं है।

अपीलाण्ट संख्या 02 हरजीराम का सम्मन आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट के साथ सवार शैतान सिंह द्वारा नवाराम की उपस्थिति व दिनांक 12.10.2020 अंकित है।

अपीलाण्ट संख्या 01 व 03 को जारी सम्मन सवार शैतान सिंह द्वारा आबाद मकान पर चस्पा की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2019 को की गई। इन सम्मनो पर हिराराम के हस्ताक्षर अंकित है, लेकिन अन्य कोई परिचयात्मक विवरण अंकित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधि में प्रदत प्रक्रिया के अनुसार सम्यक तामिल नहीं करवाई जाकर अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह इंगित किया कि एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक रामा द्वारा तैयार कर दिनांक 19.12.2019 को तहसीलदार को प्रेषित की गई है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट बिना पक्षकारो को सूचना दिए, पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनायी गयी है। जिस पर मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक रामा के हस्ताक्षर है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955) के नियम 69 के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करने का भी प्रावधान है। इस बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दृष्टिगोचर ही नहीं किया एवं उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 बउनवान हंजारीराम बनाम चौथी में पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली